International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 4, April - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्राचीन भारत में स्थानीय प्रशासन

डॉ0 मो0 इमरान खाँ
सहायक प्रोफेसर–राजनीति विज्ञान मुमताज
पी0जी0 कालेज, लखनऊ

मनु ने राजा द्वारा शासन करने की व्यवस्था का उल्लेख करत` हुए कहा है कि, वह दो, तीन, पाँच और सौ ग्रामों के बीच में अपने थाने (गुल्म) तथा योग्य कर्मचारी शांति व्यवस्था के लिए स्थापित करे। कर वसूलने के लिए गाँव में एक मुखिया, दस गाँव पर दूसरा कर्मचारी, बीस गाँव पर तीसरा, तथा सौ गाँव पर चौथा, और हजार गाँव पर पाँचवाँ अधिकारी होगा। ये अधिकारी आदर्श न्याय और शांति स्थापना के सभी कार्य किया करते

थे। गाँवों के अधिकारियों के सभी कार्यों की देखभाल करने के लिए एक अलग मंत्री होगा। गाँवो के प्रशासन के साथ मनु न` नगर क`प्रशासन का वर्णन किया है। प्रत्येक नगर में न्याय, प्रशासन, पुलिस आदि सभी कार्यो पर विचार करने वाला (स्वार्थचिन्तक) एक अधिकारी होगा। राजा को दौरा करके गुप्तचरों द्वारा सब सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। मनु के कहा कि, राजकर्मचारी प्रायः दूसरों की सम्पत्ति हड़पने वाले और धूर्त होते हैं, राजा को इनसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी करर्य कराने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से घूंस लेते हैं ऐसों से सर्वस्व छीनकर राजा को उन्हें अपने राज्य से निकाल देना चाहिए। पुलिस व्यवस्था के बारे में भी मनु ने वर्णन किया है, इसे 'रक्षाधिकृत' नाम दिया, ये प्रजा की रक्षा सम्बन्धी कार्य सुविधापूर्वक कर सके, इस हेतु दो, तीन अथवा पाँच गाँवों के मध्य पुलिस की एक चौकी स्थापित होनी चाहिए, कुछ रात में पहरा दें। मनु के अनुसार राज्य की राजधानी का आधार दुर्ग होना चाहिए, दुर्ग छः प्रकार के होते हैं– धन दुर्ग, महादुर्ग, जलदुर्ग, वृक्षदुर्ग, सेना दुर्ग और गिरिदुर्ग। पुर में जिस दुर्ग का आश्रय लिया जाए उसे आयुध, धन–धान्य, वाहन, ब्राहम्णों, मन्त्रियों, शिल्पियों, सुन्दर जल तथा ईधनादि से परिपूर्ण होना चाहिए। इस दुग ं के मध्य में राजा का आवास होना चाहिए, राजा का निवास स्थान सब ऋतुओं के फलो–फूलों के वृक्षों, सुन्दर एवं स्वच्छ जल से

युक्त तथा चहारदीवारी से सुरक्षित होना चाहिए।

कौटिल्य ने भी स्थानीय प्रशासन का वर्णन किया है जिसे उसन` अपन`सप्तांग सिद्धान्त में उल्लेख किया है इसमें जनपद और दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। जनपद में प्रथम गुण यह होना चाहिए कि उसकी सीमा पर तथा मध्य में दुर्ग होना चाहिए। कृषि धन के अलावा खनिज पदार्थ व्याप्त मात्रा में हो। जनपद का जलवायु स्वास्थ्यप्रद हो, प्रजा में दण्ड सहने तथा करों को सहन करने का सामर्थय हो। प्रजा में अधिकांश नीच वर्ण के आज्ञापालक नागरिक हों। नागरिकता का य` पैमाना आलाचेना के लायक है इसका मतलब उसके जनपद में कानून के समक्ष समानता नहीं है और आगे चलकर इसको बढ़ावा मिला जिससे भारतीय समाज जाति–प्रथा की कुप्रथा मं` फंसता चला

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 4, April - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

गया। फलस्वरूप विदेशी आक्रमणों को सफलता मिली। कौटिल्य ने राजा को जनपद की रक्षा करने के लिए अपने सीमान्त प्रदेशों पर चारों तरफ से दुर्ग बनवाए जाने की सलाह दी है। चार तरह के दुर्ग होंगे – 'औषका दुर्ग' इसके चारों ओर जल होता है और दुर्ग जल के बीच में टापू के समान होता है, पर्वत, दुर्ग यह पर्वत श्रेणियों, चट्टानों आदि से घिरा होता है। 'धान्वन दुर्ग' यह ठीक मरूस्थल में बना होता है, इसके आसपास जल, घास, वृक्ष आदि नही होंगे। 'वन दुर्ग' इसके चारों ओर दलदल और काटेदार झाड़ियाँ होती हैं। इन दुर्गों में 'औदक' एवं 'पर्वतः संकटकाल में जनपद की रक्षा करने में सहायक होते हैं। 'धान्वन' और 'वन' वर्ग के जंगलों की रक्षा करने वाले अपनी रक्षा करते हैं और विपत्ति के समय राजा की भी रक्षा करते हैं। आधुनिक विचारक कौटिल्य तथा अन्य प्राचीन भारतीय विचारकों के दुर्ग (पुर) के सिद्धान्त को राजतन्त्रीय मानत` हैं। आधुनिक लोकतन्त्र में इसकी आवश्यकता नहीं है। पंचायती राज्य व्यवस्था जिसके द्वारा सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है उसके लिए स्थानीय प्रशासन की कुछ बातों स्वागत योग्य हैं। बौध काल मं` जो गणराज्य बने उनमे ंभी इनका योगदान रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

डॉ0 आर0सी0 गुप्ता	–	इण्डिण पोलिटिकल थॉट
डॉ0 वी0एल0 फाड़िया	–	भारतीय राजनीतिक चिन्तक
डॉ0 गंगादत्त तिवारी	–	प्रमुख राजनीतिक चिन्तक
भारतीय राजनीतिक चिन्तक	–	अजय सिंह, विजय प्रताप
सत्य मित्र दुबे	–	मनु की समाज व्यवस्था